न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 22/2022

G.C.M.S. Number : 2022/18

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
मोहन पुत्र मुलाराम आयु 46 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी नारलाई तह–देसूरी जिला पाली राज.		1. मंजु पत्नी रुपाराम जाति मेघवाल निवासी नारलाई तह.देसूरी जिला पाली राज. 2. देवाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी नारलाई तह.देसूरी जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध तहसीलदार देसूरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2753 दिनांक 29.10.2021 स्वीकृती आदेश व नामान्तरकरण निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :–

- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी

–: निर्णयः–

दिनांकः 22.04.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत तहसीलदार देसूरी द्वारा नामान्तारकरण संख्या 2753 दिनांक 29 अक्टुबर 2021 की स्वीकृती आदेश व नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेट टु लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। एव अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटीस तामील होने के बावजुद अनुपस्थित होने से अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रस्तुत अपील अनुसार ग्राम नारलाई तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 2735/339 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कृषि भूमि में देवाराम, रुपाराम पुत्र वेला जी के एक तिहाई हिस्सें में से दो तिहाई हिस्सा अर्थात कुल आराजी का 1/9 हिस्सा का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 18 अक्टुबर 2016 को अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया। रेस्पोंडेंट मंजु के पति रुपाराम का स्वर्गवास होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण खोला जाकर रुपाराम के बेचान से अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण इन्द्राज किया जाना था, जो नही करके अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2753 दिनांक 29 अक्टुबर 2021 को भर दिया गया। जिसे निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ नामान्तरकरण की नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 एवं जमाबंदी सम्वत 2070–2073 एवं विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। एव अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटीस तामील होने के बावजुद अनुपस्थित होने से अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमे उन्होने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर भूमि क्रय

की,किन्तु राजस्व विभाग द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण दायर नहीं किया गया एवं एक विक्रेता की मृत्यू के उपरांत विरासत का नामान्तरकरण खोल दिया गया। अतः विरासत का नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जावें कि अपीलान्ट के विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावें एवं तत्पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपील, दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट **बोनाफाइड परचेजर** है। जिसने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर जमीन क्रय की है। जिसके आधार पर उसके नाम भूमि दर्ज की जानी चाहिये थी। अतः परिणामस्वरुप अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2753 दिनांक 29 अक्टुबर 2021 को निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करें। एवं तत्पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

22/4/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली